वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

पत्र संख्या- 125 /2025 *दिनांक- 05.04.2025*

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने के क्रम में आज दिनांक- 05.04.2025 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी है-

01.थाना- जहांनागंज ; किराना स्टोर के कैश काउंटर से चोरी गये 12,800/- रुपये के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहासः-

दिनांक 04.04.2025 को वादी राजेश कुमार पुत्र लौटन राम ग्रा0 भोजपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि अभियुक्त गनेश विश्वकर्मा पुत्र रामु विश्वकर्मा ग्राम गोधौरा (उसरा) थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ द्वारा वादी के जनरल स्टोर की दुकान के काउंटर से 13,000 रुपया चोरी कर लिया गया है। जिसके संबंध मेंथाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 124/2025 धारा 305 बीएनएस बनाम 1.गनेश विश्वकर्मा पुत्र रामु विश्वकर्मा ग्राम गोधौरा (उसरा) थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरणः-

आज दिनांक 05.04.25 को उ0नि0 राहुल कुमार मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त गणेश विश्वकर्मा पुत्र रामू विश्वकर्मा उम्र करीब 27 वर्ष निवासी गोधौरा थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ को परदेशी मोड़ गोधौरा प्राईमरी स्कूल तिराहे के पास से समय करीब 02.15 बजे गिरफ्तार किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

01. गणेश विश्वकर्मा पुत्र रामू विश्वकर्मा उम्र करीब 27 वर्ष निवासी गोधौरा थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़

बरामदगी का विवरणः-

01. चोरी का 12800 रूपये नगद

पंजीकृत अभियोग का विवरणः-

मु0अ0सं0 124/2025 धारा 305 बीएनएस थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़।

थाना निजामाबाद : गैर इरादतन हत्या में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण:-

दिनांक 01.04.25 वादिनी कलावती देवी पत्नी राजकुमार निवासी नेवादा निजामाबाद जनपद आजमगढ द्वारा थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दिया गया कि अभियुक्तों द्वारा वादिनी के पुत्र अजय कुमार पुत्र राजकुमार निवास नेवादा थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ को मारपीट कर बुरी तरह से घायल कर दिया गया है। लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 116/25 धारा 115(2), 352, 351(3), 110 बीएनएस व 3(1)द, 3(1)ध, 3(2)Va SC/ST ACT बनाम 1. करिया यादव 2. बुल्ला यादव पुत्रगण स्व0 केदार यादव निवासीगण नेवादा थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित मजरुब अजय कुमार पुत्र राजकुमार निवास नेवादा थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ का दौराने ईलाज मृत्यू हो गयी। जिसके आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 105 बीएनएस का अपराध का होना पाया जा रहा है। अतः मुकदमा उपरोक्त में धारा 110 बीएनएस से 105 बीएनएस में प्रत्यावर्तित किया गया तथा विवेचना के क्रम में एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(2)VA का लोप करते हुए धारा 3(2)V SC/ST ACT की बढ़ोत्तरी किया गया।

***गिरफ्तारी का विवरण:-**

आज दिनांक 05.04.2024 को उ0नि0 चन्द्रजीत यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त बुल्ला उर्फ रामदर्शन यादव पुत्र स्व0 केदार यादव निवासी ग्राम नेवादा थाना निजामाबाद ,आजमगढ को सेन्टरवा बाजार से समय करीब 10.50 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया तथा अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त एक अदद बांस का डंडा को बरामद किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पंजीकृत अभियोग:-

1. मु0अ0सं0 116/24 धारा 115(2), 352, 351(3), 105 बीएनएस व 3(1)द, 3(1)ध, 3(2)V SC/ST ACT थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ

गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. बुल्ला उर्फ रामदर्शन यादव पुत्र स्व0 केदार यादव निवासी ग्राम नेवादा थाना निजामाबाद , आजमगढ

अपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 144/23 धारा 60 उत्तर प्रदेश उत्पाद-शुल्क/अबकारी अधिनियम थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ।

2. मु0अ0सं0 457/24 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ।

3. मु0अ0सं0 116/25 धारा 115(2), 352, 351(3), 105 बीएनएस व 3(1)द, 3(1)ध, 3(2)V SC/ST ACT थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ।

बरामदगी:-

घटना में प्रयुक्त आला जुर्म एक अदद बास का डण्डा

03.थाना-मुबारकपुरः-चोरी की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्त चोरी के 4920 रूपये नगद, एक अदद वी.पी मशीन, एक अदद दीवाल घडी के साथ गिरफ्तार

पूर्व की घटनाः-

दिनांक 04.04.2025 को वादी हैदर अली पुत्र मोहम्मद रजाउद्दीन निवासी ग्राम आदमपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि वादी के असरफिया यूनिवर्सिटी से देवली रोड पर स्थित अमन मेडिकल स्टोर की दुकान से दिनांक 18.03.2025 की रात्रि में अभियुक्तों 1- राशिद पुत्र शाहीद 2- सलीम पुत्र इजहार निवासीगण मिल्लतनगर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ 3- मुराद बख्स उर्फ चन्दन शेख पुत्र ताजुद्दीन निवासी अमिलो थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ द्वारा ताले की डुप्लीकेट चाभी बनवाकर खोलकर दुकान के भीतर घुसकर नकद रूपये, दीवाल घड़ी, बीपी मशीन आदि चोरी कर लिया गया है। जिसके आधार पर थाना मुबारकपुर पर मु0अ0स0 140/2024 धारा 305/331(4) BNS बनाम अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में माल बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) BNS की बढोत्तरी की गयी।

गिरफ्तारी का विवरणः-

आज दिनांक 05.04.2025 को उ0नि0 कमला सिंह यादव मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर अमिलो स्थित मुफ्ती बदरेआलम के हाते से चोरी की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्तों 1. राशिद पुत्र मुहम्मद शाहिद निवासी मिल्लतनगर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष 2. मुरादबख्स उर्फ चन्दन शेख पुत्र ताजुद्दीन निवासी ग्राम अमिलो थाना मुबारकपुर आजमगढ को समय करीब 00.10 बजे गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1. राशिद पुत्र मुहम्मद शाहिद निवासी मिल्लतनगर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष
2. मुरादबख्स उर्फ चन्दन शेख पुत्र ताजुद्दीन निवासी ग्राम अमिलो थाना मुबारकपुर आजमगढ

बरामदगी का विवरणः-

01. चोरी का रूपया 4920 नगद
02. एक अदद वी.पी मशीन
03. एक अदद दीवाल घडी

04.थाना-फूलपुरः- चोरी के अदद इनवर्टर की बैटरी के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहासः-

दिनांक 27-11-2024 को वादी आदित्य कुमार यादव पुत्र जितेन्द्र बहादुर यादव ग्राम व पोस्ट पल्हनी जिला आजमगढ़ द्वारा तहरीर दिया गया कि ग्राम पंचायत धन्नीपुर वहाब विकास खण्ड मिर्जापुर में जल जीवन मिशन के टंकी एंव पम्प घर का कार्य चल रहा है जहाँ इनवर्टर व बैटरी घर में रखा था जिसे दिनांक 22-12-2024 को पम्प घर से चोरी कर लिया गया है। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 62/2025 धारा 305 बीएनएस पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरणः-

आज दिनांक 05.04.2025 को उ0नि0 गौतम कुमार सरोज मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये अभियुक्त सर्वेश यादव पुत्र रमेश यादव निवासी ग्राम मिर्जापुर थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ उम्र करीब 22 वर्ष को दुर्वाषा गेट से करीब 100 मीटर पहले समय करीब 01.58 बजे एक अदद इनवर्टर की बैट्री व एक अदद चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया। चाकू बरामदगी के संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-181/2025 की धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

सर्वेश यादव पुत्र रमेश यादव निवासी ग्राम मिर्जापुर थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ उम्र करीब 22 वर्ष

बरामदगी का विवरणः-

01. एक अदद इनवर्टर की बैट्री

02. एक अदद चाकू

पंजीकृत अभियोगः-

1.मु0अ0सं0-181/2025 की धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास-

सर्वेश यादव पुत्र रमेश यादव निवासी ग्राम मिर्जापुर थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ उम्र करीब 22 वर्ष

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1.	62/25	305/317(2) बीएनएस	फूलपुर	आजमगढ़
2.	2/2023	3/25 आर्म्स एक्ट	फूलपुर	आजमगढ़
3.	181/25	4/25 आर्म्स एक्ट	फूलपुर	आजमगढ़

05.थाना-जीयनपुरः-अवैध तमंचा व कारतूस के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरणः-

आज दिनांक 05.04.2025 को उ0नि0 रतन सिंह पटेल मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर एक व्यक्ति गौरव सिंह उर्फ बादल पुत्र गिरिशचन्द सिंह निवासी ग्राम छपरा सुल्तानपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ उम्र करीब 24 वर्ष को एक अदद अवैध तमंचा 303 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस .303 बोर, दो अदद जिन्दा कारतूस 9 mm के साथ भरौली नहर के पास रोड के किनारे से समय करीब 11.35 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 126/2025 धारा 3/7/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

गौरव सिंह उर्फ बादल पुत्र गिरिशचन्द सिंह निवासी ग्राम छपरासुल्तानपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ उम्र करीब 24 वर्ष

बरामदगी का विवरणः-

01. एक अदद अवैध तमंचा 303 बोर

02. एक अदद जिन्दा कारतूस .303 बोर

03. दो अदद जिन्दा कारतूस 9 mm

पंजीकृत अभियोगः-

मु0अ0सं0 126/2025 धारा 3/7/25 आर्म्स एक्ट थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

अपराधिक इतिहासः-

1.मु0अ0स0 312/2020 धारा 120-B/302/419/420/467/468/471 थाना कोतवाली देहात जनपद मिर्जापुर

2. मु0अ0स0 44/2021 धारा 3/25 A ACT थाना कोतवाली देहात जनपद मिर्जापुर

3. मु0अ0स0 61/2021 धारा 3(1)यू0पी0 गैगेस्टर एक्ट थाना कोतवाली देहात जनपद मिर्जापुर

4.मु0अ0स0 124/2025 धारा 103(1)BNS थाना जीयनपुर आजमगढ़(बइस्तवाह)

5.मु0अ0सं0 126/2025 धारा 3/7/25 आर्म्स एक्ट थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

थाना-फूलपुरः-अंग्रेजी शराब की दुकान पर हो रही थी अबैध देशी शराब की बिक्री, 02 अभियुक्त की गयी गिरफ्तारी

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरणः-

दिनांक 04.04.2025 को संदीप कुमार आबकारी निरीक्षक क्षेत्र-4 फूलपुर आजमगढ़ मय हमराह के क्षेत्र में भ्रमणशील हो कर अम्बारी चौराहे पर मौजूद थे कि वहां पर थानाध्यक्ष फूलपुर सच्चिदानन्द मय हमराह के साथ मिलकर आपस में अबैध शराब की रोकथाम की बात कर रहे थे कि जरिये मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि कम्पोजिट शाप अम्बारी में अबैध तरीके से अवैध देशी शराब की ब्रिक्री की जा रही है। आबकारी व पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा अम्बारी स्थित कम्पोजिट शाप को चेक किया गया तो, एक लकड़ी के तख्त के नीचे से एक पेटी में देशी मदिरा के 13 अदद एसेप्टिक ब्रिक पैक (टेट्रा पैक) विंडीज 2- लाईम ब्राण्ड देशी शराब (मसाला) प्रत्येक की धारिता 200 ML व ब्रिक्री का 2420रुपया पाया गया। तथा विदेशी मदिरा के संचित स्टाक में इम्पिरीयल ब्लू ब्राण्ड की 26 बोतल 750एमएल की व 269 पौवा 180 MLकी व रायल स्टैग ब्राण्ड के 09 बोतल 750 ML, 07 अद्धा 375 ML की व वन मोर वोदका ब्राण्ड के 17 अद्धा 375 ML की व 47 पौवा 180 ML की, विस्किन क्राफ्ट ब्राण्ड के 29 पौवा 180 ML की व 03 अद्धा 375 ML की व व वियर के संचित स्टाक में किन्गफिशर ब्राण्ड की 744 केन 500 ML की व 87 बोतल 650 ML की व टूवर्ग ब्राण्ड की 672 केन 500 ML की व कार्ल्स बर्ग ब्राण्ड की 238 केन 500 ML की व बडवाइजर ब्राण्ड की 205 केन 500 ML की व रियोगोल्ड ब्राण्ड की 46 बोतल 330 ML की पाया गया। कम्पोजिट शाप अम्बारी के अनुज्ञापित परिसर से अवैध रूप से देशी मदिरा की बिक्री किया जाना धारा 60/64 संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम व धारा 318 बी0एन0एस0 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होने के कारण कंपोजिट शाप अंबारी के परिसर में संचित वैध विदेशी मदिरा व वियर को मौके पर दुकान में यथावत रखते हुए दुकान में ताला बंदकर सील किया गया । विक्रेता/अभियुक्त हिमांशु मद्धेशिया पुत्र अयोध्या प्रसाद निवासी एलवल थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष तथा जटाधारी मद्धेशिया पुत्र ओमप्रकाश मद्धेशिया निवासी मातवरगंज थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 30 वर्ष को धारा 60/64 संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम व धारा 318 बी0एन0एस0 का कारण गिरफ्तारी बता कर करीब 03.45 बजे संयुक्त टीम द्वारा हिरासत में लिया गया। वादी मुकदमा श्री संदीप कुमार आबकारी निरीक्षक क्षेत्र 4 फूलपुर आजमगढ़ के लिखित फर्द बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 182/2025 धारा 60/64 आबकारी अधि0 व 318 बीएनएस पंजीकृत किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

01.हिमांशु मद्धेशिया पुत्र अयोध्या प्रसाद निवासी एलवल थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष

02.जटाधारी मद्धेशिया पुत्र ओमप्रकाश मद्धेशिया निवासी मातवरगंज थाना कोतवाली आजमगढ़ उम्र करीब 30 वर्ष

पंजीकृत अभियोगः-

1. मु0अ0सं0 182/2025 धारा 60/64 आबकारी अधि0 व 318 बीएनएस थाना फूलपुर आजमगढ

आपराधिक इतिहासः-

1 हिमांशु मद्धेशिया पुत्र अयोध्या प्रसाद निवासी एलवल थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	01/22	34/427/504/506 भादवि	कोतवाली	आजमगढ़
2	182/25	60/64 आबकारी अधि0 व 318 बीएनएस	फूलपुर	आजमगढ़

1 जटाधारी मद्धेशिया पुत्र ओमप्रकाश मद्धेशिया निवासी मातवरगंज थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 30 वर्ष

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	182/25	60/64 आबकारी अधि0 व 318 बीएनएस	फूलपुर	आजमगढ़

थाना कोतवाली फूलपुर